पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वेबसाइट www.ptcul.org

पत्रांकः 2003 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांकः 06 .11.2026

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 1199/I(2)/2017-05-34/2016 दिनांक 25.09.2017 एवं वेतन/भत्ते पुनरीक्षण विषयक कारपोरेशन के ज्ञाप सं0 1649/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 28.11.2017 के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में पिटकुल में कार्यरत समस्त पूर्ण कालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचरियों को अपर सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश सं0 446514/XXVII-10/2026–ई–22807 दिनांक 05 नवम्बर, 2026 की अनुरूपता में अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दरों का पुर्ननिर्धारण करते हुए निम्नानुसार संशोधित दर पर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

तिथि, जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2026	मूल वेतन का 63 (तिरसठ) प्रतिशत

1. इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम–9 (2)(1) में परिभाषित है, से होगा अर्थात किसी भी प्रकार के विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या अन्य वेतन को मंहगाई भत्ते हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
2. समस्त पूर्णकालिक नियमित कार्मिकों को दिनांक 01.07.2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते का अवशेष (एरियर) नकद भुगतान माह नवम्बर 2026 के वेतन के साथ किया जायेगा। दिनांक 01 नवम्बर, 2026 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा।
3. स्वीकृत/संशोधित मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को गणनाक्रम में निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को पूरा रूपया माना जायेगा और 50 पैसे से कम धनराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।
4. कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) से आच्छादित कार्मिकों को मंहगाई भत्ते के एरियर की धनराशि 12 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि अभिदान के रूप में करने के पश्चात् शेष धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा।
5. अवकाश नकदीकरण में अनुमन्य महंगाई भत्ते को उसी प्रकार माना जायेगा जिस प्रकार कार्यावधि (Duty Period) के लिए माना जाता है।

इस आदेशानुसार स्वीकृत/संशोधित मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु महाप्रबन्धक (वित्त), कारपोरेट मुख्यालय, पिटकुल, देहरादून को अलग से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 2003 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल,।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल,।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता/आहरण–वितरण अधिकारी, पिटकुल,।
5. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी–II), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत् आदेश को कारपोरेशन की वैबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. कट फाईल।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)